



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072023-247266
CG-DL-E-13072023-247266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]
No. 402]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 501(अ).—केंद्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य पशु वस्तु का वन्य जीव निपटान नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) “अधिनियम” से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) “भस्मीकरण” से जलना अभिप्रेत है, जहां जला हुआ पदार्थ राख, गैस और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. **वन्य पशु वस्तु आदि का निपटान.**—कोई भी वन्य पशु से बनी वस्तु, ट्राफी या अनक्योर्ड ट्रोफी या किसी वन्य जीव से प्राप्त मांस, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है, धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित रीति से निपटान किया जाएगा, अर्थात् : —

- (क) निदेशक, वन्य जीव संरक्षण या मुख्य वन्य जीव वार्डन या अधिकृत कोई अधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा लिखित में आदेश द्वारा ऐसी सरकारी संपत्ति को ऐसे स्थान और ऐसी तारीख और समय, जैसा कि आदेश में उल्लिखित हैं, जलाने का निदेश दे सकेगा ;
- (ख) इस प्रयोजन के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा गठित समिति की उपस्थिति में भस्मीकरण किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् : —
- (i) ऐसा अधिकारी, जो उप वन्य संरक्षक के पद से नीचे का न हो, जिसके पास ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा हो;
- (ii) स्थानीय ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि ;
- (iii) राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ;
- (iv) वन्य जीव के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ ; और
- (ग) समिति, भस्मीकरण की तारीख से दस दिन के भीतर मुख्य वन्य जीव वार्डन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

4. **आदेश हस्ताक्षरित और तारीखित होगा.**—मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखित होगा।

[फा. सं. डब्ल्यूएल-1/10/23-डब्ल्यूएल]

बिभाष रंजन, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) और निदेशक, वन्य जीव संरक्षण

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2023

G.S.R. 501(E).— In exercise of the powers conferred by clause (gvii) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Wild Life Disposal of Wild Animal Article Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) “Act” means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) “incineration” means burning where the burnt material is converted into ash, gas and energy.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) shall have the meaning, respectively, assigned to them in that Act.

3. **Disposal of wild animal article, etc.**—Any wild animal article, trophy or uncured trophy or meat derived from any wild animal, which is a State Government or Central Government property, as the case may be, under sub-sections (1) and (2) of section 39 shall be disposed of in the following manner, namely:-

(a) the Director, Wild Life Preservation or the Chief Wild Life Warden or an Officer authorized, in writing, by the Central Government or the State Government, as the case may be, may by order direct the

incineration of such Government property at such place and such date and time as mentioned in the order;

- (b) the incineration shall be conducted in the presence of a Committee constituted by the Chief Wild Life Warden for this purpose, consisting of the following Members, namely:-
- (i) an Officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests having custody of such property;
 - (ii) a representative of the local Gram Panchayat;
 - (iii) a representative of the Revenue Department not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) an expert in the field of Wild Life; and
 - (c) the Committee shall submit a report on the incineration to the Chief Wild Life Warden, within a period of ten days from the date of incineration.

4. Order to be signed and dated.— Every order of the Chief Wild Life Warden or the authorised Officer shall be in writing and shall be signed and dated by him.

[F. No. WL-1/10/2023-WL]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests (WL) and Director, Wild Life Preservation